52

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–दतिया

III/निगरानी/दतिया/भू.रा./2017/3905

जगदीश पाल पुत्र स्व. श्री घन्सोले पाल, निवासी – ग्राम मडौरा तहसील मौठ पोस्ट खिल्ली जिला – झांसी (उ.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती मुन्नी पत्नी रामनारायण पाल वर्तमान में परिवर्तित फर्जी नाम गुड्डी पाल पत्नी स्व. सद्दू उर्फ साधुराम पाल

2– कडोरी पाल नाबालिग पुत्र श्री रामनारायण पाल परिवर्तित फर्जी नाम वीर सिंह पुत्र स्व. सद्दू उर्फ साधुराम पाल संरक्षिका/मॉ श्रीमती मुन्नी वर्तमान में फर्जी नाम गुड्डी पाल

निवासीगण – भदौरिया की खिड़की बाहर दतिया (म.प्र.)

.......अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 174/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 11.09.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, इस निगरानी को उत्पन्न करनी वाले तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है अनावेदक ने मृतक गोविंद दास की कृषि भूमि का नामान्तरण अपने नाम किया जाने हेतु तहसीलदार दतिया के यहां एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसे तहसीलदार दतिया ने अपने प्रकरण क्रमांक 63/अ–6/13–14 श्रीमती गुड्डी बनाम सर्व साधारण पंजीबद्ध कर अपने पारित आदेश दिनांक 25.04.2014 से स्वीकार किया गया।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो/निगरानी/3905/2017/दतिया/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
23/1/19	आवेदक अधिवक्ता श्री कें0 के0 द्विवेदी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रकरण इस न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी दतिया के प्रकरण कमांक 174/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 11.9.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक के अधिवक्ता के तर्कों पर विचार करने एवं म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.9.2018 के हुये संशेधन अनुसार अनुविभागीय अधिकारी दतिया द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक 11.9.17 के विरूद्व सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी सुनवाई योग्य नहीं रही है। अपितु संशेधन की संहिता की धारा 54 (क) सहपठित धारा 50 (1) (ग) के अनुसार अपर आयुक्त ग्वालियर के समक्ष सुनवाई योग्य है। तदनुसार प्रकरण अपर आयुक्त ग्वालियर की ओर निराकरण हेतु हस्तांतरित किंया जाता है। पक्षकार दिनांक 29.3.19 को अपर आयुक्त ग्वालियर के समक्ष उपस्थित रहे। सदस्य **अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर**	